उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–22/2022–23

डेजी देवी एवं अन्य

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 20/12/23

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता डेजी देवी, पति– सुशील झा, अध्यक्ष दुर्गा, स्वयं सहायता समूह एवं सचिव, किरण देवी, पति– घनश्याम यादव, दुर्गा स्वयं सहायता समूह, सा0–आसाढ़ी माधुरी, थाना– पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा के आदेश दिनांक–27.06.2020 के विरूद्ध, जिसके द्वारा दुर्गा स्वयं सहायता समूह आसाढ़ी माधुरी के जन वितरण प्रणाली के दुकान के अनुज्ञप्ति को काली सूची में डाल दिया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि दुर्गा स्वयं सहायता समूह आसाढ़ी माधुरी को ग्राम आसाढ़ी माधुरी के लिए जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दुकान आवंटन किया गया है। लेकिन आसाढ़ी माधुरी के तत्कालीन मुखिया द्वारा दुर्गा स्वयं सहायता समूह आसाढ़ी माधुरी के विरूद्ध गड़बड़ी का झूठा आरोप लगाते हुए तत्कालीन उपायुक्त, गोड्डा को शिकायत किया था। उक्त शिकायत के आधार पर सहायक समाहर्त्ता, श्री ऋतु राज से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। लेकिन श्री ऋतु राज के द्वारा तत्कालीन मुखिया के शिकायत पर विश्वास कर गलत प्रतिवेदन समर्पित किया गया एवं दुर्गा स्वयं सहायता समूह आसाढ़ी माधुरी के जन वितरण प्रणाली के दुकान को रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्त्ता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में डब्लू0पी0(सी0) नं0–1191/2020 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची ने अपीलकर्त्ता को दिनांक–06/04.07.2022 से 60 दिनों के अंदर कानून के अनुसार अपील दायर करने एवं इस अवधि की देरी को माफ करने के लिए निर्देश दिया गया। उसी आदेश के आलोक में अपीलकर्त्ता की ओर से वर्तमान अपील वाद दायर किया गया है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता पर लगाया गया सभी आरोप झूठा है। क्योंकि

समिति के अंतिम अध्यक्ष ने व्यक्तिगत आधार पर इस्तीफा दिया है एवं सारी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए अपीलकर्त्ता को दुर्गा स्वयं सहायता समूह का अध्यक्ष बनाया गया है। उनका आगे कथन है कि दुर्गा स्वयं सहायता समूह का सभी कागजात एवं कानूनी प्रक्रिया सही है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा के पत्रांक–708/डी0आर0डी0ए0, दिनांक–09.04.2013 के द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में वनांचल ग्रामीण बैंक, डाँड़े में खाता खोला गया, जिसमें दुर्गा स्वयं सहायता समूह के द्वारा 10000.00 (दस हजार) रू0 जमा किया गया है। इसके बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पोड़ैयाहाट ने दुर्गा स्वयं सहायता समूह को जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दुकान के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को अनुशंसा किया है एवं जिला आपूर्ति कार्यालय के द्वारा दिनांक–10.09.2018 को दुर्गा स्वयं सहायता समूह को जन वितरण प्रणाली के दुकान के रूप में चुना गया है तथा अनुज्ञप्ति सं0 –05/2018, दुर्गा स्वयं सहायता समूह के नाम से निर्गत किया गया, जिसमें जमानत की राशि के रूप में चालान सं0–112149155 दिनांक–15.10.2018 के द्वारा 12000.00 (बाहर हजार) रू0 जमा किया गया। इस प्रकार उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के स्थापित सिद्धांत के विपरीत है। इसलिए उक्त आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दुर्गा स्वयं सहायता समूह आषाढ़ी माधुरी को जन वितरण प्रणाली के दूकान के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत है। अपीलकर्त्ता का दावा है कि समिति के अंतिम अध्यक्ष ने व्यक्तिगत आधार पर इस्तीफा दिया है एवं सारी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए अपीलकर्त्ता को दुर्गा स्वयं सहायता समूह का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व अध्यक्ष के द्वारा इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा से प्राप्त प्रतिवेदन में भी अपीलकर्त्ता के विरूद्ध किसी तरह का कोई आपत्ति का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकृत करने योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.03.14 13:09:04 +05:30
Location: 192.168.1.55

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।